15.11.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्ड खातेदार है रिकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध लगान जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

मुख्यालय शिविर में पारित किया गया जिसकी सूचना/नोटिस अपीलार्थी को नहीं दी गई। अपीलार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार को सुने बिना उसके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 161/2014 भगवान कोहला बनाम श्रीराम में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को जवाब, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर बाद सुनवाई प्रकरण का गुणावगुण पर आदेश पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.21 को उप. हो। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से मय होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर